शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 27 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 03 – 10 जुलाई 2023 मूल्य पांच रूपये

भाखड़ा–ब्यास परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल क्यों नहीं

- 25 सितम्बर 2011 को हिमाचल के पक्ष में आया है फैसला
- 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा हिमाचल को
- 2199.77 करोड 6% ब्याज सहित भी वसूला जाना है पंजाब और हरियाणा से
- पंजाब पुनर्गठन आयोग में चण्डीगढ़ में हिस्सेदारी का कोई उल्लेख नहीं है
- सर्वोच्च न्यायालय में हिमाचल के तीन अधिकारी ए.के. गोस्वामी, डॉ.वाई.के.मूर्ति और प्रबोध सक्सेना रख चुके हैं प्रदेश का पक्ष
- प्रबोध सक्सेना आज मुख्य सचिव हैं उन्हें मामले की पूरी जानकारी है

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने भाखड़ा–नंगल और ब्यास विद्युती परियोजना में पंजाब पुनर्गठन आयोग के प्रावधानों के तहत उसकी पूरी हिस्सेदारी दिये जाने के लिये 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ के खिलाफ याचिका दायर की थी। पंजाब पुनर्गठन आयोग की धारा 78 के अनुसार इन परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 प्रतिशत बनती है। इस याचिका में हिस्सेदारी के अतिरिक्त 12% मुफ्त बिजली दिये जाने का भी दावा किया गया था। याचिका में यह राहत मांगी गयी थी The plaintiff has accordingly claimed the following reliefs:

(a) A decree declaring that the plaintiff State is entitled to a share of 12% of the net power generated (total power available after deduction of auxiliary consumption and transmission losses) in Bhakra-Nangal and Beas Projects free of cost from the date of commissioning of the projects and further a decree declaring that the defendants are jointly and severally liable to compensate and reimburse the money value of the power to the plaintiff State as per statements II and IV annexed to the plaint;

(b) A decree declaring that the plaintiff State is entitled to 7.19% of the power generated in the Bhakra-Nangal and Beas Projects from the appointed day (01.11.1966) or from the date of commissioning of the projects, whichever is later, out of the share of the then composite State of Punjab on account of the transfer of population to the plaintiff State under the Punjab Reorganisation Act, 1966 and a further decree declaring that the defendants are jointly and severally liable to compensate or reimburse the plaintiff State for the difference between 7.19% of its share out of the share of the then composite State of Punjab and the power received by the plaintiff State under the ad hoc and interim arrangement from the two projects with effect from the appointed day or the commissioning of the projects, whichever is later as per statements I and III annexed to the plaint;

(c) A decree for a sum of Rs.2199.77 (two thousand one hundred ninety nine decimal seven) crores in favour of the plaintiff and against the defendants jointly and severally as compensation/ reimbursement for their failure of supply to the plaintiff 12% and 7.19% share of the power generated in the two projects, being the total of the statements I and IV;

(d) A decree for interest, pendente lite and future at the prevailing bank rates till the realization of amount in full;

(e) Costs of the suit;

(f) Other further reliefs as may be deemed fit and proper in the circumstances of the case.

इस याचिका की सुनवाई के दौरान हिमाचल का पक्ष तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के. गोस्वामी मुख्य अभियन्ता एवं सचिव विद्युत डॉ.वाई. के.मूर्ति और जिलाधीश प्रबोध सक्सेना ने अदालत में रखा था। इस याचिका का फैसला 27 सितम्बर 2011 को हिमाचल के पक्ष में आ गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह राहत हिमाचल प्रदेश को दी है।

(i) The suit is decreed in part against Defendant Nos. 2 and 3 and dismissed against Defendant Nos. 1, 4 and 5.

(ii) It is hereby declared that the Plaintiff-State is entitled to 7.19% of the power of the composite State of Punjab from the Bhakra-Nangal Project with effect from 01.11.1966 and from Beas Project with effect from the dates of production in Unit I and Unit II.

(iii) It is ordered that Defendant No.1 will work out the details of the claim of the Plaintiff-State on the basis of such entitlements of the Plaintiff, Defendant No.2 and Defendant No.3 in the tables in Paragraph 77 of this judgment as well as all other rights and liabilities of the Plaintiff-State, Defendant No.2 and Defendant No.3 in accordance with the provisions of the Punjab Reorganisation Act, 1966 and file a statement in this Court within six months from today stating the amounts due to the Plaintiff-State from Defendant Nos. 3 and 4.

(iv) On the amount found to be due to the Plaintiff- State for the period from 01.11.1966 in the case of Bhakra-Nangal Project and the amount found due to the Plaintiff-State for the period from the dates of production in the case of Beas Project, the Plaintiff-State would be entitled to 6% interest from Defendant Nos. 2 and 3 till date of payment.

(v) With effect from November 2011, the Plaintiff-State would be given its share of 7.19% as decreed in this judgment.

(vi) The Plaintiff-State will be entitled to a cost of Rs. 5 lakhs from Defendant No.2 and a cost of Rs.5 lakhs from Defendant No.3.

The matter will be listed after six months along with the statements to be prepared and filed by the Defendant No.1 as ordered for verification of the statements and for making the final decree.

इसके अनुसार 01–11–1966 से हिमाचल को इन परियोजनाओं में 7.19 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेगी। इसी के साथ पंजाब और हरियाणा 2199.77 करोड़ भी 6% ब्याज सहित हिमाचल को अदा करेंगे। यह याचिका स्व.वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में दायर हुई थी और इसका फैसला प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल के अन्तिम दिनों में आ गया था। लेकिन 2012 से 2022 तक जो सरकारें सत्ता में रही है वह इस फैसले पर अमल नहीं करवा पायी और न ही किसी सरकार ने फैसले से असहमति जताते हुये इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील ही दायर की है। जबकि सुखद संयोग यह रहा है कि आज के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना तो स्वयं इसमें प्रदेश का पक्ष रखने वालों में रहे हैं। उन्हें तो इस फैसले की जानकारी है लेकिन प्रदेश की जनता को इसकी सही जानकारी नहीं है। जयराम सरकार के कार्यकाल में भी चंडीगढ़ के प्रैस क्लब में इस पर एक पत्रकार वार्ता करके बड़े दावे किये गये थे। हिमाचल, हरियाणा और केन्द्र में भाजपा की ही सरकारें थी। लेकिन इस फैसले की अनुपालना की दिशा में कोई कदम नहीं उठाये गये। अब सुक्खू सरकार भी जयराम के नक्शे कदम पर चल कर प्रदेश को दावे परोसने के काम पर लग गयी है। इस सरकार ने चंडीगढ़ में भी हिस्सेदारी मांगने का एक नया अध्याय इसमें जोड़ दिया है। जबकि पंजाब पुनर्गठन आयोग में हिमाचल का चंडीगढ़ में भी हिस्सा होने का कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह से यह दावेदारियां की जा रही हैं उससे लगता है कि प्रशासन जानबूझकर राजनीतिक नेतृत्व को उलझाने का काम कर रहा है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद जनता को यह बताये जाने की आवश्यकता है कि इस फैसले को लागू करवाने के लिए क्या कदम उठाये गये है। क्योंकि जब एक बार अदालत में जाने की बाध्यता बन ही चुकी है तब यह मामला कानूनी तरीके से ही सुलझ पायेगा और ब्यानों से नहीं।

उप-मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग को सभी क्षतिग्रस्त जलापूर्ति योजनाओं को बहाल करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग को सभी क्षतिग्रस्त जलापूर्ति योजनाओं को तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं को बहाल करने की जानकारी नियमित रूप से दिन में दो बार सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे मुख्यालय को भेजी जाये। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आधिकारिक वैबसाइट पर समय पर सूचनाएं अपलोड करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सभी जलापूर्ति योजनाओं में स्रोत स्तर के साथ-साथ आपूर्ति स्थलों पर व्यापक जल परीक्षण करने के निर्देश दिए।

उप-मुख्यमंत्री ने सभी जलापूर्ति योजनाओं का क्लोरीनीकरण सुनिश्चित करने एवं आपूर्ति स्थलों पर न्यूनतम निर्धारित अवशिष्ट क्लोरीन भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि सभी कनिष्ठ अभियंता विभिन्न टैंकों और वितरण स्थलों पर जांचे गए अवशिष्ट क्लोरीन का रिक र्ड रखना सुनिश्चित करें।

उन्होंने जल जनित बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए पानी के नमूनों के परीक्षण के लिए जल स्रोतों और उपभोग्य सामग्रियों के क्लोरीनीकरण के लिए मण्डलीय और उप-मंडल स्तर पर ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी और अन्य रसायनों का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी नकारात्मक रिपोर्टिंग पर तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जल शक्ति विभाग ने एक एडवाइज़री भी जारी की है ताकि लाभार्थियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी तरह की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह सभी फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संबंधित मुख्यालय एवं फील्ड में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने माता चिन्तपूर्णी मंदिर में पूजा-अर्चना की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवार सहित माता चिन्तपूर्णी मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के पवित्र स्थलों एवं शक्तिपीठों की यात्रा को सुगम बनाने एवं यात्रियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है।

एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि शानन जल विद्युत परियोजना की पट्टे की अवधि वर्ष 2024 में पूरी हो रही है और कानून के अनुसार पंजाब को यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को वापिस कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की सुविधा के दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में विभिन्न गैर जरूरी कानूनों को निरस्त अथवा संशोधित करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास की प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वनों में सूखे पेड़ों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वन विभाग और हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही बैठक आयोजित कर इसके लिए रूपरेखा तैयार करेगी।

नौणी विश्वविद्यालय के 10 छात्र महीने भर के प्रशिक्षण के लिए बैंकॉक रवाना

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के 10 स्नातक छात्र एशियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एआईटी) बैंकॉक में महीने भर चलने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये रवाना किया गया। छात्र 6 जुलाई से एक महीने की अवधि के लिए एआईटी में कृषि प्रणाली और इंजीनियरिंग शैक्षणिक कार्यक्रम में में भाग लेंगे।

प्रशिक्षण का विषय 'बागवानी और वानिकी के सतत विकास के लिए स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज' होगा। पूरी तरह से वित्त पोषित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को आईसीएआर राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की आईडीपी के तहत आयोजित किया गया है। एशियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक सार्वजनिक वित्त पोषित, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान है जो 1959 से उच्च शिक्षा, अनुसंधान और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है।

मुख्य परिसर के दोनों कॉलेजों के बागवानी और वानिकी विषयों से तीन-तीन और नेरी में विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज से चार स्नातक छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर कार्यक्रम के लिए चुना गया है। चयनित छात्र-स्वधा सूद, अनुशुमन ठाकुर और सिया बागवानी महाविद्यालय, नौणी और शैफाली शर्मा, धृति और तान्या मुख्य परिसर में वानिकी महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। अपूर्वा शर्मा, पलक, आर्यन महाजन और अंजलि शर्मा हमीरपुर जिले के बागवानी और वानिकी महविद्यालय, नेरी के छात्र है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल और वैधानिक अधिकारियों ने चयनित छात्रों से दिल्ली रवाना होने से पहले बातचीत की। प्रोफेसर चंदेल ने कार्यक्रम के लिए चुने जाने पर छात्रों को बधाई दी और स्नातक छात्रों के लिए वैश्विक ख्याति वाले संस्थानों में प्रशिक्षण पाना संभव बनाने के लिए आईसीएआर और सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने छात्रों से मूल्यवान ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया और इस यात्र का उपयोग दुनिया को अपने देश, राज्य और विश्वविद्यालय के बारे में बताने के अवसर के रूप में भी करने का आवाहन किया। उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए आईडीपी के प्रधान अन्वेषक डॉ. केके रैना और पूरी टीम को बधाई दी।

यह छात्रों का तीसरा बैच है जिन्हें आईडीपी के तहत विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है। इससे पहले, 32 छात्रों के एक बैच ने एआईटी में एक महीने के कार्यक्रम में भाग लिया था, जबकि 10 छात्रों के एक अन्य बैच ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया में तीन सप्ताह का कार्यक्रम पूरा किया था। इसके अतिरिक्त, 31 संकाय सदस्यों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जर्मनी, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाने का अवसर मिला था। 15 छात्रों का एक और बैच इस महीने के अंत में जर्मनी के लिए रवाना होगा, जबकि चार संकाय सदस्यों को जर्मनी भेजने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

डॉ. संजीव चौहान, निदेशक अनुसंधान, डॉ.मनीष शर्मा, डीन औदयानिकी महविद्यालय, डॉ. सीएल ठाकुर, डीन वानिकी महाविद्यालय, डॉ. कमल शर्मा, डीन नेरी महाविद्यालय, डॉ. अनिल सूद, डॉ. राजेश कौशल और डॉ. भूपेन्द्र दत्त इस अवसर पर उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज़िला कांगड़ा के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में तिब्बती आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि तिब्बती समुदाय के लोगों और प्रदेश के बीच 75 वर्षों का गहरा रिश्ता है। उन्होंने दोनों समुदायों के बीच

सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व पर प्रकाश डाला और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार तिब्बती समाज के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा की जीवन यात्रा, दृढ़-निश्चय समर्पण और संघर्षों से भरी है। उन्होंने सभी से दलाई लामा की शिक्षाओं और अनुभवों से प्रेरणा लेने का आहवान किया और कहा कि उनके विचारों को आत्मसात करते हुए हमें अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दलाई लामा अहिंसा, करुणा और भाईचारे का प्रतीक हैं तथा दुनियाभर में प्रेम, शांति और भाईचारे के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने तिब्बत और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए दलाई लामा के अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दलाई लामा को इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने भारत की समृद्ध प्राचीन संस्कृति, ज्ञान और जीवन मूल्यों के बारे में युवाओं को जागरूक करने में दलाई लामा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरू के संदेश का विश्वभर में अनुसरण किया जाता है। वैश्विक स्तर पर उनकी शिक्षाओं को लोगों का अपार स्नेह और समर्थन मिला है। शांति के क्षेत्र में दलाई लामा के योगदान के लिए उन्हें 150 से अधिक पुरस्कार मिले हैं।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष पेंपा त्सेरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेंपो सोनम तेनफाल, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर, कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और किशोरी लाल, विधायक यादविन्द्र गोमा, केवल सिंह पठानिया, मलेंदर राजन, ओएसडी रितेश कपरेट, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अजय महाजन, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

बच्चों के समग्र विकास के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का समग्र विकास और पोषण सुनिश्चित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के प्रारंभिक चरण में सीखने की प्रक्रिया के अलावा उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखती है।

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए अविलम्ब पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाएगी।

आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष नीलम जसवाल और महासचिव बीना शर्मा ने किया।

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पोषण ट्रेकर एप के लिए मोबाइल फोन, रिक्त पदों की भर्ती और सभी ज़िलों में शिकायत निवारण संबंधी बैठक नियमित रूप से आयोजित करने की मांगें प्रस्तुत की। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव एम. सुधा देवी, महिला एवं बाल विकास निदेशालय की निदेशक नीलम ठाकुर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

भारी बारिश से प्रदेश में अनुमानित 4000 करोड़ रुपए का नुकसान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौन से राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की और सभी संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण 17 लोगों की मृत्यु हो गई है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों, बिजली के ट्रांसफार्मरों व विद्युत उप-केंद्रों और जल आपूर्ति परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। इस आपदा के कारण लोगों का जनजीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है और प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार प्रदेश को लगभग 3000 करोड़ से 4000 करोड़ रुपए तक का नुकसान आंका गया है। मुख्यमंत्री ने लगातार बारिश से हुए नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में समिति की बैठक बुलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को आगामी 10 दिनों तक सतर्क रहने और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने भूस्खलन और बाढ़ से हुई जान-माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस विकट स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित बचाव अभियान शुरू किए गए और समय पर आपदा प्रबन्धन कर, कई अमूल्य जीवन बचाए गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से राहत और बचाव कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को दैनिक जीवन में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने विभिन्न जगहों पर फंसे हुए लोगों की सुविधा के लिए क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर बेली ब्रिज के निर्माण के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम ठीक होने पर हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में फंसे लगभग 300 पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को निकालने के प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने प्रदेश में फंसे पर्यटकों की राज्यवार सूची तैयार करने के अलावा इन लोगों के ठहरने, भोजन और दवाओं इत्यादि सहित आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में भारी तबाही और जान-माल को भारी नुकसान पहुंचा है।

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार प्रभावितों की सहायता के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेंगे।

मुख्यमंत्री ने सेब सीजन के दृष्टिगत इन उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की शीघ्र बहाली पर बल दिया ताकि सेब फसलों का सुचारू परिवहन सुनिश्चित कर, सेब उत्पादकों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने परवाणु-रोहड़ू, ठियोग से रामपुर, छैला से कुमारहट्टी सड़कों और अन्य सेब उत्पादन क्षेत्रों की सड़कों को खुला रखने और मलबा हटाने के लिए अतिरिक्त मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन क्षेत्रों में तत्काल सड़क सुधार के लिए 4 करोड़ रुपए आबंटित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान छह मौतों की सूचना के उपरांत इस यात्रा को शेष सीजन के लिए रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

इस वर्चुअल बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

बारिश से नुकसान पर 2.84 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी

शिमला/शैल। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए जान व माल के नुकसान की स्थिति का निरन्तर जायजा लिया जा रहा है, भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरन्तर नज़र बनाए हुए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले 60 घण्टों में 10 जुलाई, 2023 को प्रात: 8 बजे तक कुल 17 लोगों की मृत्यु दर्ज की गयी है। इस अवधि के दौरान एक होटल तथा 11 घर पूर्ण रूप से व 20 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये हैं। 100 से 120 पशुओं की हानि भी दर्ज की गयी है।

इस अवधि के दौरान भूस्खलन की 20, बाढ़ की 17, आग लगने की 2 तथा जल भराव की 20 घटनाएं हुई हैं।

प्रदेश में मंडी से कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग-21, लाहौल स्पीति में ग्राम्फू से लोकार राष्ट्रीय राजमार्ग-505, कुल्लू में कुल्लू से मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग-3 तथा औट से जलोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग-305, सिरमौर में शिलाई सड़क के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-707 तथा तांदी से काधूनाला राज्य राजमार्ग बाधित हैं।

उन्होंने बताया कि 24 जून, 2023 से लेकर 9 जुलाई, 2023 तक प्रदेश में 29 भूस्खलन, एक बादल फटने तथा 24 बाढ़ की घटनाएं रिपोर्ट की गयी हैं। अब तक लोगों को 2.84 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की गयी है। प्रदेश में प्रात: 10 जुलाई, 2023 तक 825 सड़कें, 4597 बिजली की लाइनें (डॉयनामिक थर्मल रेटिंग) तथा 795 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हैं।

किसानों-बागबानों के लिए मददगार साबित होगी ड्रोन तकनीक

शिमला/शैल। कृषि एवं पशु पालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सभागार में दो दिवसीय ड्रोन उत्सव के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में ड्रोन तकनीक को अपनाने पर जोर दिया है और पालमपुर में ड्रोन उत्सव इस दिशा में कारगर सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में किसानों तथा बागबानों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से ड्रोन तकनीक काफी मददगार साबित होगी। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की मदद से मौसम का सही पूर्वानुमान, सिंचाई की बेहतर सुविधा, कीटनाशकों का प्रभावी छिड़काव, फसल के स्वास्थ्य की निगरानी की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि यह तकनीक का युग है और वर्तमान में तकनीक तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आये हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को अनुसंधान कार्यों पर जोर देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं शोध को प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचाने के लिए भी सार्थक कदम उठाने चाहिए ताकि किसान लाभान्वित हो सकें।

उन्होंने कहा कि शाहपुर आईटीआई में ड्रोन प्रशिक्षण आरंभ किया गया है और आने वाले समय में प्रदेश के 11 अन्य आईटीआई में ड्रोन मैकेनिक इत्यादि कोर्स आरंभ करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था सुचारू बनाने में ड्रोन तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्य संसदीय सचिव, शिक्षा एवं शहरी विकास, आशीष बुटेल ने कहा कि प्रदेश में ड्रोन तकनीक का विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल सभी के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक की शुरुआत पालमपुर नगर निगम की मैपिंग एवं अन्य विकास कार्यों में भी की जाएगी। उन्होंने किसान और बागवानों को कीटनाशक छिड़काव एवं बीज इत्यादि लगाने के लिए क्लस्टर बनाकर ड्रोन उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने सभी विभागों को ड्रोन तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि से आने वाले समय में हिमाचल को देश में ड्रोन तकनीक प्रयोग करने वाला पहला राज्य बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने आपात स्थिति के दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में प्रदेश में भारी बारिश के कारण स्वास्थ्य संस्थानों को हुए नुकसान की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात के मौसम में होने वाले रोगों की रोकथाम तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई आपात स्थिति के दृष्टिगत स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की छुटियां रद्द कर दी है ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाइयों के भंडारण व एम्बुलैंस सेवा की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने आंध्र मेड टेक जोन का दौरा किया

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने आंध्र प्रदेश के विजाग में स्थित सबसे बड़े विश्व स्तरीय मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, आंध्र मेड टेक जोन (एएमटीजेड) का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सुविधाओं की परिचालन गतिशीलता को समझना है। प्रतिनिधिमंडल ने सामान्य गामा विकिरण केंद्र, बायोकम्पैटिबल सेंटर, 3-डी डिजाइन और प्रिंटिंग लैब जैसी वैज्ञानिक सुविधाओं का भी दौरा किया।

हर्षवर्धन चौहान ने एएमटीजेड की टीम के साथ जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किए जा रहे मेडिकल डिवाइस पार्क के संबंध में भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार औद्योगिकीकरण की गति को बढ़ाने के साथ-साथ आगामी मेडिकल डिवाइस पार्क को क्रियाशील करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग मंत्री ने कहा कि चार चिकित्सा प्रयोगशालाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और मेडिकल डिवाइस पार्क, नालागढ़ की कटिंग और लेवलिंग का पहला चरण पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को अपना हिस्सा भी प्रदान किया है।

एएमटीजेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जितेंद्र शर्मा ने पार्क की विस्तृत रूपरेखा के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में स्थापित यह पार्क 270 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पार्क में 120 से अधिक इकाइयां संचालित हैं तथा इसमें लगभग 5000 चिकित्सा उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पार्क की आउटपुट प्रतिवर्ष 9000 करोड़ रुपये है।

उद्योग मंत्री ने डॉ. जितेंद्र शर्मा को इस संबंध में आगामी विचार-विमर्श के लिए हिमाचल आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नजीम से एएमटीजेड से तकनीकी सेवाएं लेने की संभावनाएं तलाशने को कहा।

प्रतिनिधिमंडल में विधायक चन्द्रशेखर, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एचपीबीडीपी आईएल राकेश कुमार प्रजापति, जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियन्ता विजय कुमार ढटवालिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 857 करोड़ रुपए का प्रावधान:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। जनजातीय क्षेत्रों का विकास प्रदेश की वास्तविक उन्नति का प्रतीक है। प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। यह बात जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लोग भौगोलिक कठिनाइयों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं तथा प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर रहे जनजातीय लोगों के कल्याण तथा उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय योजनाओं में 335 करोड़ रुपये का परिव्यय भी प्रस्तावित है।

जनजातीय विकास मंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव वित्त एवं योजना अक्षय सूद, सलाहकार योजना डॉ. बसु सूद, संयुक्त सचिव जनजातीय विभाग विक्रम नेगी, संयुक्त निदेशक जनजातीय विकास विभाग कैलाश चौहान तथा जनजातीय विकास, वित्त और योजना विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मन शरीर का सूक्ष्म हिस्सा है। आपको अपने मन और शब्दों में बड़ी ताकत रखनी चाहिए।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

राहुल को राहत नहीं क्योंकि 10 मामले लंबित हैं

राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सजा को स्थगित न करने से प्रार्थी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सजा स्थगित करने के कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे ही दस मामले लंबित हैं। एक शिकायत कैंब्रिज में वीर सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर कर रखी है। किसी मामले में प्रार्थी को राहत देना या न देना यह मान्य न्यायधीश का एकाधिकार है। ऐसा करने के लिये संदर्भित मामले के क्या गुण दोष मान्य न्यायधीश के विवेकानुसार उसके सामने हैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन जब न्यायधीश यह तर्क दे कि प्रार्थी के खिलाफ ऐसे दस मामले लंबित हैं और एक मामला तो वीर सावरकर के पोते ने कैंब्रिज में दायर कर रखा है इसलिये यह राहत का हकदार नहीं है तो पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। क्योंकि लंबित मामलों से संदभित मामला कैसे प्रभावित होता है इस पर कुछ नहीं कहा गया है। क्या मान्य न्यायधीश यह मानकर चलें हैं कि लंबित मामलों में भी राहुल गांधी को सजा ही होगी। इसलिये अभी उसे राहत क्यों दी जाये। शायद न्यायिक इतिहास में यह पहला मामला होगा जिसमें प्रार्थी को इसलिये राहत नहीं मिली क्योंकि उसके खिलाफ ऐसे ही दस मामले लंबित हैं।

(Gandhi) is seeking a stay on conviction on absolutely non-existent grounds. Stay on conviction is not a rule. As many as 10 cases are pending against (Gandhi). It is needed to have purity in politics... A complaint has been filed against (Gandhi) by the grandson of Veer Savarkar at Cambridge... Refusal to stay conviction would not result in injustice to the applicant. There are no reasonable grounds to stay conviction. The conviction is just proper and legal.

गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को गांधी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं या जेल जाना चाहते हैं यह अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जायेगा। लेकिन इस फैसले पर हर आदमी अपने-अपने तौर पर विचार करेगा कि क्या न्याय में ऐसा भी होता है। न चाहते हुये भी यह माना जायेगा कि जज पर राजनीतिक दबाव रहा है। यह कहना कि वीर सावरकर के पोते ने भी आपके खिलाफ मामला दायर कर रखा है अपने में एक लम्बी बहस का विषय बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इन टिप्पणियों का क्या संज्ञान लेता है यह देखना रोचक होगा। क्योंकि वीर सावरकर के साथ वैचारिक मतभेद होने का यह अर्थ नहीं हो सकता कि उसके परिजन द्वारा आप के खिलाफ मामला दायर किया जाने से आप न्यायिक राहत के पात्र ही नहीं रह जाते हैं इस फैसले के राजनीतिक परिणाम बहुत गंभीर होंगे यह तय है।

क्या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ वैचारिक मतभेद होने पर उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं की जा सकती। ऐसी टिप्पणियां करने वाले के खिलाफ यदि इनका कोई परिजन कोई मामला दायर कर देता है तो क्या ऐसा मामला दायर होने के बाद टिप्पणी करने वाले को अन्य मामलों में भी राहत नहीं मिल सकती। क्या उच्च न्यायालय के इस फैसले से कई सवाल नहीं उठ खड़े होंगे। आज तक प्रधानमंत्री और दूसरे भाजपा नेताओं ने नेहरू, गांधी परिवार के खिलाफ जितनी भी ब्यानबाजी कर रखी है अब वह सारी ब्यानबाजी नये सिरे से चर्चा में आयेगी यह तय है। पूरी न्यायिक व्यवस्था पर एक नई बहस को जन्म देगा यह फैसला। मानहानि बाहर के देशों में एक सिविल अपराध है क्रिमिनल नहीं। क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आपका हर व्यवहार वैयक्तिक होने से पहले सार्वजनिक होता है इसलिये सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे के खिलाफ आक्षेप लगाये जाते हैं। इसलिये इस फैसले के बाद इस पर भी बहस हो जानी चाहिए कि मानहानि क्रिमिनल मामला होना चाहिये या नहीं। मानहानि को क्रिमिनल अपराध के दायरे में लाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लग जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ आये इस फैसले से जो राजनीतिक बहस आगे बढ़ेगी उससे भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक नुकसान होना तय है। क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को हर आदमी राजनीतिक से प्रेरित मानेगा।

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत की क्रांति
आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती हुई

निमिष रुस्तागी, हिमांशु पाठक, पिनाक पानी दत्ता

अधिकाधिक सरकारी निवेश और विकास से जुड़ी पहलों की सहायता से भारत अपने बुनियादी ढांचे का जबरदस्त उन्नयन कर रहा है। सड़क, रेलवे, विमानन और जलमार्ग सहित भारत के परिवहन नेटवर्क में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और इसका देश के आर्थिक विकास पर व्यापक प्रभाव हो रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास के इन प्रयासों का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स संबंधी लागत को कम करना और भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। मल्टी-मॉडल

बुनियादी ढांचे के विकास हेतु महत्वाकांक्षी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान से प्रेरित, नई सड़कें व रेलवे भारत को वर्तमान में 3.74 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था (आईएमएफ, 2023) से आगे बढ़कर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने में मदद करेंगे।

सड़कों के नेटवर्क में सुधार

कुल 6.37 मिलियन किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली सड़कों के साथ भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। हाल के वर्षों में, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति में काफी तेजी आयी है और यह 2014-15 में औसतन 12 किलोमीटर प्रति दिन से बढ़कर 2021-22 में लगभग 29 किलोमीटर प्रति दिन हो गया है। राजमार्गों की कुल लंबाई 2014 में 97,830 किलोमीटर से बढ़कर आज 145,155 किलोमीटर हो गयी है। यही नही, पिछले नौ वर्षों के दौरान, भारत के विभिन्न गांवों को हर मौसम में आवागमन लायक सड़कों से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3.5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। सड़कों से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए सरकार का बजटीय समर्थन तेजी से बढ़ा है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अटल सुरंग, ढोला-सदिया पुल और चिनाब नदी पुल जैसी रणनीतिक परियोजनाओं, जिनमें से कुछ कई वर्षों से लंबित थी, को यद्धस्तर पर पूरा करना सरकार के समावेशी शासन और देश के सबसे दूर-दराज व दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रति उसकी वचनबद्धता का प्रमाण है।

रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव

भारतीय रेलवे का पर्याप्त आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ है। पिछले चार वर्षों के दौरान रेलवे के बुनियादी ढांचे पर होने वाले पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.5 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। रेलवे की पटरियों के विद्युतीकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो पिछले नौ वर्षों में 37,011 रूट किलोमीटर तक पहुंच गई है। इसके अलावा, 4 मार्च 2022 को, भारतीय रेलवे को शून्य दुर्घटना का लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली कवच का सफल परीक्षण किया गया। स्वदेशी तरीके से डिज़ाइन की गई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरूआत, जो अभी 25 मार्गों पर चल रही हैं, और इसके क्रमिक विस्तार से उच्च गति वाली रेल यात्रा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद के बीच चल रहे हाई-स्पीड लाइन के निर्माण और माल ढुलाई हेतु नए गलियारों के विकास से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, यात्रा में लगने वाला समय कम होगा और कुशलता के साथ माल व यात्रियों की आवाजाही की सुविधा हासिल होगी।

विमानन क्षेत्र की उड़ान

भारतीय विमानन क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है और इसने देश को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में स्थापित किया है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और विमानन सेवा से वंचित रहे या अपेक्षाकृत कम सेवा वाले हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, सरकार ने 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना के तहत 4,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। पिछले नौ वर्षों में नागरिक उड़ानों वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गयी है और यह 2014 में 74 से बढ़कर 2023 में 148 हो गयी है। यही नही, सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा, जल्द ही बनकर तैयार होने वाला ग्रीनफील्ड नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश में विमानों के रखरखाव, मरम्मत और संचालन (एमआरओ) का सबसे बड़ा केंद्र होगा, जिससे विमानन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे।

जलमार्गों का दोहन

भारत एक स्थायी लॉजिस्टिक क्षेत्र की स्थापना में अपने जलमार्गों की अपार क्षमता से अवगत है। अंतर्देशीय जल परिवहन पर सरकार के ध्यान के कारण 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा हुई है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान इन जलमार्गों के रास्ते सामानों (कार्गो) की आवाजाही 108.8 मिलियन टन की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 30.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास को और अधिक सुविधाजनक बनाता है, एक मजबूत मल्टी-मॉडल परिवहन इकोसिस्टम का निर्माण करता है और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, सागरमाला परियोजना का लक्ष्य बंदरगाहों को विकसित करना, अनुपालनों को सुव्यवस्थित करना और जहाज के लौटने (टर्नअराउंड) में लगने वाले समय को कम करना है।

आर्थिक निहितार्थ और भविष्य

परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास से परिवहन की लागत कम हो जाती है, व्यापार से होने वाले लाभ में वृद्धि होती है तथा मजदूरी बढ़ती है और इन सबसे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। बुनियादी ढांचे के विकास ने श्रमिकों को कृषि से हटाकर अधिक उत्पादक नौकरियों की ओर ले जाने में मदद की है। इस बदलाव को संभव और व्यावहारिक बनाने से गांवों में शिक्षा के विकास को भी गति मिली है।

भारत को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, विद्युतीकृत रेलवे, पुनर्निर्मित हवाई अड्डों और एक ईवी इकोसिस्टम द्वारा संचालित एक उच्च गुणवत्ता वाले परिवहन नेटवर्क में एकीकृत किया जाएगा। भारत जिस उच्च स्तर के विकास को हासिल करना चाहता है, उसके लिए नए बुनियादी ढांचे की परिवर्तनकारी शक्ति एक पूर्व शर्त है। यह एक ऐसा उभरता हुआ ज्वार है जो देश के सभी वर्गों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाएगा।

अमेरिकी निवेश बैंक मॉर्गन स्टेनली की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने आपूर्ति-पक्ष से संबंधित सुधार, अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण, रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन, सामाजिक हस्तांतरण के डिजिटलीकरण, दिवाला एवं दिवालियापन से संबंधित सुधार, मुद्रास्फीति के लचीले लक्ष्यीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर ध्यान, इक्विटी बाजारों में सुधार और कॉरपोरेट मुनाफे के प्रति सरकारी समर्थन जैसे प्रमुख नीतिगत विकल्पों की सहायता से एक दशक से भी कम समय में खुद को बदल लिया है।

इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आने वाले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के कई वृहद आर्थिक संकेतकों में लगातार बढ़ोतरी होने वाली है। भारत की मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता 2022 में 447 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2032 में 1500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। निर्यात बाजार में हिस्सेदारी 2031 तक दोगुनी से अधिक होकर 4.5 प्रतिशत हो जाएगी, जबकि 2021 में यह हिस्सेदारी 2.2 प्रतिशत थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में 2,200 अमेरिकी डॉलर से दोगुनी होकर 2032 तक लगभग 5,200 अमेरिकी डॉलर हो जाने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट का यह निष्कर्ष है कि भारत वैश्विक विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरेगा और नया भारत इस दशक के अंत तक वैश्विक विकास के पांचवां हिस्से को संचालित करेगा।

जनजातीय आबादी के सामाजिक-आर्थिक जीवन को बदलेगी सामुदायिक विकास योजना

जनजातीय क्षेत्रों के विकास को गति देगी नई योजना

शिमला। जनजातीय क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने और एकीकृत विकास के माध्यम से जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक नई सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय लोगों की व्यापक प्रगति और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों के लिए धन आवंटित करेगा।

योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों और गैर जनजातीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले गांवों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत 40 प्रतिशत से कम जनजातीय आबादी वाले गांव व वार्ड को भी शामिल किया जाएगा।

सामुदायिक विकास योजना (जनजातीय क्षेत्रों के लिए) का लक्ष्य बेहतर संपर्क (कनेक्टिविटी), संचार, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हासिल करना है।

इस नवीन योजना के तहत पंजीकृत महिला मंडलों और युवक मंडलों के लिए नए और पुराने भवनों का निर्माण या मरम्मत, नए कमरे, पुस्तकालय, सड़कें, पैदल मार्ग, छोटे पुल या कल्वर्ट, जिम, योग केंद्र, खेल मैदान, सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर, प्राकृतिक पेयजल की बहाली जैसे कार्य, तार-स्पैम पुल का निर्माण या मरम्मत, ठोस व तरल अपशिष्ट उपचार योजनाएं, पार्किंग, सिंचाई चैनल (कुहल) और सामुदायिक लाभ के लिए अन्य कार्य शामिल होंगे।

जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे कार्यों को परियोजना सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और वित्तीय एवं प्रशासनिक मंजूरी उपायुक्त, आवासीय आयुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी। गैर-जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे कार्यों का प्रस्ताव संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा और वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।

ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार लाहौल- स्पीति में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस आयोजित कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में जनजातीय क्षेत्रों को समान महत्त्व देने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की यह नई योजना जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दिखाई गयी इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

संकट से बाहर निकलने के लिए प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन

शिमला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण हुए जान व माल के नुकसान के संबंध में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से दूरभाष पर बात की तथा स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि प्रदेश बाढ़ तथा भारी वर्षा से बुरी तरह प्रभावित है जिससे भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री को अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया तथा इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से उदार सहायता का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार स्थिति की गहन निगरानी कर रही है तथा प्रदेश में भारी वर्षा, बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण सड़क, जल तथा बिजली आपूर्ति को भारी नुकसान हुआ है। इस आपदा के कारण 17 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गयी है तथा प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये का माली नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि भारी वर्षा के कारण पूरा राज्य प्रभावित हुआ है तथा प्रदेश सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। राज्य में फंसे लोगों को सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा सहायता प्रदान की जा रही है और मौसम में सुधार के साथ ही उन्हें एयर लिफ्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बचाव कार्यों में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को तैनात करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश को इस आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस संकट से प्रदेश के उबरने की प्रक्रिया में विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने इस आपदा से बाहर निकलने के लिए प्रदेश को केन्द्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग तथा हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी मुख्यमंत्री से दूरभाष पर बात की तथा प्रदेश में हुए नुकसान और राहत तथा बचाव कार्यों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से प्रदेश में उत्पन्न हुई इस स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य को इस संकट से उबरने में काफी समय लगेगा।

हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल बना देश का पहला पहाड़ी राज्य

शिमला। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। प्रदेश में कुल 17.08 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें शत-प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गयी थी, जिसके तहत वर्ष, 2024 तक देश के सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल प्रदेश ने समय से पहले अपना लक्ष्य हासिल करते हुए पेयजल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल ने देश में शीर्ष 9 राज्यों में अपना स्थान बनाया है।

जल जीवन मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल नल के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। प्रदेश ने कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर केन्द्र से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदेश में कुल 1742 योजनाएं मंजूर की गई, जिसकी अनुमानित राशि 5757.79 करोड़ रुपये है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों, महत्वाकांक्षी जिला और सांसद आदर्श ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी गयी।

पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 69 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा प्रत्येक गांव को पानी की जांच के लिए फील्ड टैस्ट किट वितरित किए गए हैं, जिसके माध्यम से लोग अपने गांव में ही पानी की नियमित जांच करवा सकते हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल शक्ति विभाग की ओर से कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से 14,200 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के साथ-साथ पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं प्रबंधन में भी मददगार साबित होगा। युवाओं को सशक्त करने के लिए तथा योजना और विकास संबंधी कार्यों में उनकी सहभागिता के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल या बहुतकनीकी में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन्हें प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रतिमाह 5000 रुपये का वज़ीफा भी दिया जा रहा है।

प्रदेश में 49 ग्रामीण पेयजल योजनाएं संचालन और रखरखाव के लिए पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। प्रदेश के 28600 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए 22562 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात के दौरान जलस्रोतों में गाद भरने, बर्फबारी के दौरान पाइप लाइन टूटने तथा अन्य बाधाओं से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग तैयार रहता है। जनता को गुणवत्तापूर्ण पानी की स्थिरता और पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की बैक एंड योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

स्रोतों के पुनर्भरण के लिए और भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए चैकडैम तथा जोहड़ बनाए जा रहे हैं। वर्षा जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति में बाधा से निपटने के लिए सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं का संचालन शुरू किया गया है। बर्फीले क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत एंटी फ्रीज तकनीक से योजनाएं बनाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और संरक्षण के लिए बावड़ियों, चश्मों और अन्य स्रोतों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत समय से पूर्व शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना प्रदेश की समृद्धि की दिशा में एक नया आयाम स्थापित करेगा।

नड्डा ने बारिश से नुकसान का लिया जायजा

शिमला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा

ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिन्दल से बात कर प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान से संबंधित हालात का जायजा लिया।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से पैदा हुए हालात और लोगों की परेशानी को देखते हुए नड्डा ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद का निर्देश दिया है।

इसके लिए हिमाचल प्रदेश भाजपा ने सूचना एवं सहायता हेतु दो नंबर 9317221289 और 8580616570 भी जारी किया है जिस पर संपर्क किया जा सकता है। भाजपा ने लोगों से मदद के लिये जारी किए नंबर पर संपर्क करने का आग्रह किया है। साथ ही, सभी मंडल अध्यक्षों एवं जिला अध्यक्षों को भी इस नंबरों पर संपर्क करने के आदेश जारी किए ताकि लोगों को अविलंब मदद पहुंचाने के लिए मदद की जा सके।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आग्रह किया

शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में हुई भारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश को देखते हुए केंद्र सरकार से हर संभव मदद करने का आग्रह किया। पिछले दो दिन से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में जन-जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। बारिश की वजह से प्रदेश में जान-माल की भारी क्षति हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बारिश की वजह से हुई मृत्यु पर अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि ईश्वर मृतक आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को यह असह्य दुःख सहन करने की क्षमता प्रदान करें।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की सूचनाएं मिल रही हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल के लोगों से अपील की कि वे बरसात में अपने घर में सुरक्षित रहे, अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। किसी भी संभावित बाढ़ वाली जगह से दूर रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश भर में बारिश से भारी नुक़सान हुआ है। इस बरसात में पंडोह और ऑट के पुल के भी बह जाने की सूचना मिली। दोनों ही पुल ऐतिहासिक थे। इन दोनों पुलों का भी बह जाना दुःखद है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बारिश की वजह से प्रभावित हुए लोगों को सरकार हर संभव मदद करे। जिन लोगों के घर टूटे हैं, उन्हें तत्काल सहायता दी जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतते हुए वहां पर टास्क फ़ोर्स की तैनाती की जाए जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कारवाई की जा सके। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से आग्रह किया कि बारिश सी बंद पड़े रास्तों को को जल्दी से जल्दी खोला जाये, जिससे जन जीवन सुचारू रूप से बहाल हो सके।

हिमाचल में ख़राब मौसम से उपजे हालातों पर केंद्र की पूरी नज़र:अनुराग ठाकुर

शिमला। हिमाचल प्रदेश: केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल

प्रदेश में भारी बारिश व बाढ़ से बनी परिस्थियों को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से फ़ोन पर बातचीत कर स्थिति का जायज़ा लिया व केंद्र सरकार द्वारा हालतों पर बारीकी से नज़र रखे जाने की बात कही।

अनुराग ठाकुर ने कहा ''पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भौगोलिक जटिलता और मौसम के बदलाव के समय विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल में भारी बारिश के चलते बाढ़ व भूस्खलन देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते हो रहे जान-माल के नुक़सान की घटनाएँ दुःखद हैं। स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता के साथ राहत व बचाव कार्यों में लगा है जिसमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी से बारिश व बाढ़ से बनी परिस्थियों को ध्यान रखते हुए कई बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की है।

इस दौरान ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा, ''हिमाचल की स्थिति पर केंद्र सरकार की पूरी गंभीरता के साथ नज़र बनाए हुए है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने हेतु हम पूरी तरह तैयार हैं और राज्य सरकार को हर आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं।

प्रदेश में खोले जाएंगे 1000 लोक मित्र केंद्र:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर लोगों को सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दूर-दराज के क्षेत्रों में 1000 लोक मित्र केंद्र खोलने पर विचार कर रही है। इस पहल से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए उनके घर-द्वार के निकट रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय और उच्च गति की संचार सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर केबल का व्यापक नेटवर्क बिछाया जाएगा। सरकार 5-जी सेवाओं को मज़बूत करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ भी मामला पर विचार-विमर्श करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है। लोगों को सरल और सुगम सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत सरकार की लगभग सभी जनहित सेवाएं आज ऑनलाइन उपलब्ध हैं और मौजूदा लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से लोग इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा लोक मित्र केंद्रों के नेटवर्क को और सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है। इनके माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड, बोनोफाईड हिमाचली प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए पंजीकरण, परीक्षा फॉर्म भरने और ऑनलाइन नौकरी के आवेदन जैसी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टेट डाटा सेंटर को उन्नत करने का भी निर्णय लिया है। इसके माध्यम से विकास और कल्याण से संबंधित जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चार माह में एक 'एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली' बनाई जाएगी। इस प्रणाली का उपयोग कृषि, पशुपालन, श्रम और रोजगार सहित विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की मैपिंग के लिए किया जाएगा। इसके उपरांत इस उपलब्ध जानकारी का उपयोग कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकासात्मक योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 'हिम परिवार' नामक एक रजिस्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत एक ही जगह पारिवारिक डेटा को शामिल किया जाएगा। 'हिम परिवार' के अन्तर्गत पीडीएस, ई-कल्याण और ऐसे अन्य पोर्टलों के डेटा का उपयोग करके परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी एकीकृत की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। लाभार्थियों को केवल एक बार आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और इससे उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्यपाल ने भारी बारिश के कारण जान-माल की क्षति पर दुःख व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लगातार भारी बारिश के कारण प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से हुई जान-माल की हानि पर दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगतों की आत्मिक शांति की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को आपदा की इस विकट स्थिति का एक साथ मिलकर सामना करना चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित कर रही है और केंद्र सरकार की ओर से भी स्थिति की निगरानी की जा रही है।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी दूरभाष पर बात कर स्थिति की जानकारी हासिल की। उन्होंने अवगत करवाया कि अचानक आयी बाढ़ के कारण फंसे लोगों को बचाने के लिए मंडी और कुल्लू में विभिन्न स्थानों पर बचाव दल युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। प्रदेश के जिला प्रशासन सतर्क है और आपात स्थिति में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100, 1070, 1077 जारी किए गए हैं।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि आपदा की इस स्थिति में घबराएं नहीं और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे नदी-नालों के समीप न जाएं और इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन करें। उन्होंने पर्यटकों से भी प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का गंभीरता से पालन करने का आग्रह किया है।

राज्य में प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को भारी बारिश और बाढ़ से राज्य में हुई जान-माल की हानि से भी उन्हें अवगत करवाने का निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला रेडक्रॉस सोसायटी से भी राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने की अपील की है।

प्रदेश के हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा 'मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन'

हरित पहलों के तहत 10,000 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा पौधरोपण:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणा को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए वन विभाग द्वारा 'मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन' के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान राज्य के 15 वन मण्डलों में लगभग 257 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने के दृष्टिगत एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत 'मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन' की शुरूआत की गई है। इसके तहत राज्य में बंजर पहाड़ियों के बड़े हिस्से पर पौधरोपण के माध्यम से चयनित भूमि में पर्यावरण-अनुकूल प्रजातियों का पौधरोपण कर पूरी पहाड़ी को हरित आवरण प्रदान किया जाएगा।

वन विभाग द्वारा इस वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान मिशन के अंतर्गत पौधरोपण के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान कर ली गयी है। इनमें कुल्लू वन मण्डल में 30 हेक्टेयर, नाहन और सोलन में 25-25 हेक्टेयर, पार्वती में 22 हेक्टेयर और किन्नौर वन मण्डल में 20 हेक्टेयर भूमि पौधरोपण के लिए चिन्हित की गयी है। इस मिशन का लक्ष्य हरित आवरण को बढ़ाने के साथ-साथ पहाड़ी चोटियों पर जंगली खरपतवारों को खत्म करना भी है। इस पहल से राज्य में पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।

इसके अतिरिक्त वन विभाग को अन्य विभागीय योजनाओं के तहत लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि पर पौध लगाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने चिन्हित क्षेत्रों में पर्यावरण-अनुकूल प्रजातियां लगाने की योजना बनाई है ताकि प्रदेश में इस मिशन की सफलता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने वन अधिकारियों को पौधरोपण की निगरानी और उत्तरजीविता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार के इस विस्तृत दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलने के साथ-साथ प्रदेश का सतत् विकास भी सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान यहां के विविध पारिस्थितिकीय तंत्रों से है। प्रदेश में शिवालिक, पश्चिमी हिमालय और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्रों के साथ-साथ ट्रांस-हिमालयी और हिमालयी जैव-भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं। सरकार प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण तथा प्रदेश के हरित भू-भाग को बढ़ाने की दिशा में ठोस एवं अग्रगामी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षित कर, उन्हें स्वच्छ प्राकृतिक विरासत देने में 'मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन' मील पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बरसात के दौरान पौधरोपण गतिविधियों के लिए आवंटित धन का प्रभावी उपयोग तथा इस योजना की सफलता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इन संगठित प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल अपने वन क्षेत्र को बढ़ाकर हरित भविष्य की परिकल्पना को साकार करते हुए अन्य राज्यों के समक्ष एक उदाहरण स्थापित करेगा।

कर्मचारी हितों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि कर्मचारियों को उनके सभी देय लाभ समय पर मिलें। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में हिमाचल भवन, चंडीगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे।

हिमाचल भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के सामान्य आवास पूल में हिमाचल भवन चंडीगढ़ के कर्मियों को आवास आवंटित करने का मामला चंडीगढ़ प्रशासन से उठाया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को दूरभाष पर उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि आवास की सुविधा कर्मियों की कार्य कुशलता में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाएं हैं और पर्यटन विकास निगम को हिमाचल के अनछुए पर्यटन क्षेत्र के दोहन में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध परम्परा के प्रसार में निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल के एन पी एस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित कर प्रदेश सरकार ने न केवल अपना वायदा निभाया है अपितु इन कर्मियों का भविष्य भी सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण एवं परिश्रम के साथ प्रदेश शीघ्र ही आर्थिक संपन्नता की ओर कदम बढ़ाएगा।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष राहुल सिंह ठाकुर, हिमाचल भवन चंडीगढ़ के उप महा प्रबंधक अनिल कपूर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

भर्ती प्रक्रिया में देरी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जिम्मेदार

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। दोनों नेताओं ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक होते रहे, लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने आंखें मूंदे रखी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान पैसे लेकर चुनिंदा व्यक्तियों को पेपर बेचे जाते रहे और यह गोरखधंधा बेरोकटोक जारी रहा। उन्होंने कहा कि आज जितनी भी परीक्षाओं के परिणाम लटके हुए हैं, उनके लिए जय राम ठाकुर जिम्मेदार हैं। यही नहीं पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला भी पूर्व भाजपा सरकार की देन है और मुख्यमंत्री रहते हुए जय राम ठाकुर ने किसी भी दोषी पर कोई कारवाई नहीं की।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने उन पोस्ट कोड के परीक्षा परिणाम निकालने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जो विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भर्तियों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और अन्य के परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इस मामले को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ भी उठाया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लायी सके।

उन्होंने कहा कि पांच वर्षों तक युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर वर्तमान अब वर्तमान सरकार के छह माह के कार्यकाल पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है।

अनिरूद्ध सिंह तथा आशीष बुटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल ही में शिक्षा विभाग में कैबिनेट ने लगभग छह हजार अध्यापकों के पद भरने को स्वीकृति प्रदान की है और अन्य विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा भविष्य में सरकारी क्षेत्र में और पद भी सृजित किए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सुनिश्चित हो सकें।

10 तथा 11 जुलाई को प्रदेश में स्कूल तथा महाविद्यालय बंद रहेंगें

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिले की कुमारसैन तहसील में भूस्खलन की घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को प्रभावित परिवार को तत्काल राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारी वर्षा तथा विषम मौसमी परिस्थितियों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी तथा निजी स्कूल और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी व निजी महाविद्यालय 10 तथा 11 जुलाई, 2023 को बंद रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सीबीएससी,आईसीएसई तथा अन्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध संचालित निजी स्कूल परीक्षा तथा स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के आधार पर इन दो दिनों में स्कूल बंद रखने का निर्णय अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसके साथ ही परामर्श दिया गया है कि उपरोक्त शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि खराब मौसम के पूर्वानुमान के दृष्टिगत राज्य सरकार ने सुरक्षा उपायों और आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सतर्क रहने तथा लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने की भी अपील की। उन्होंने प्रदेशवासियों से जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने का भी आग्रह किया।

स्काईएयर और हिमाचल प्रदेश ने राज्य भर में अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट शुरू करने की घोषणा की

शिमला/शैल। स्काईएयर, भारत के सबसे बड़े एसएएएस आधारित ऑटोनमस ड्रोन लॉजिस्टिक्स प्रदाता और हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर में अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट तैनात करने

के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू हिमाचल प्रदेश राज्य में अनमैन्ड एरियल ऑपरेशंस की सुरक्षा और कार्यकुशलता को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत में एकमात्र स्वदेशी अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में, स्काई यूटीएम ऑटोमेटेड एयरस्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट, जेनरेटिंग अप्रूवल्स और मैन्युअल इंटरवेन्शंस के बिना ड्रोन मूवमेंट्स को कोऑडिनेशन प्रदान करता है। ये सिस्टम नेक्सट जेनरेशन के एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स की फाउंडेशन के तौर पर काम करता है, जो तेजी से बढ़ती ड्रोन इंडस्ट्री में सुरक्षा और कुशलता सुनिश्चित करता है।

कृषि, पनबिजली, सीमेंट और टूरिज्म में अपने बेहतरीन और तेजी से ग्रोथ दर्ज कर रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के साथ हिमाचल प्रदेश को विभिन्न तरह के ऑपरेशंस में ड्रोन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। राज्य के पहाड़ी इलाके और मानसून और सर्दियों के मौसम के दौरान सड़क नेटवर्क सीमित हो जाने पर ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन सहित एरियल ट्रेड रूट्स के लिए अवसर पैदा करते हैं। राज्य के हवाई क्षेत्र में बढ़ती गतिविधि के साथ, मौसम और इलाके जैसे कारक एरियल एरिया के प्रबंधन और सभी तरह के एयर ट्रैफिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूटीएम सिस्टम की तैनाती को महत्वपूर्ण बनाते हैं।

स्काईएयर और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच इस नई साझेदारी का लक्ष्य दो मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करना है। सबसे पहले, स्काईएयर एक राज्य-व्यापी यूटीएम सॉल्यूशंस तैनात करेगा, जिसमें सभी पक्षों और हितधारकों के लिए यूटीएम डैशबोर्ड की स्थापना, योग्य पायलटों को शामिल करना, यूटीएम प्लेटफॉर्म पर सभी हितधारकों को प्रशिक्षण देना शामिल है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश सरकार परियोजना के बाधारहित संचालन के लिए आवश्यक सहायता, डेटा और जानकारी प्रदान करेगी। यह यूटीएम सिस्टम के साथ सभी पायलटों और राज्य के स्वामित्व वाले ड्रोन्स का इंटीग्रेशन सुनिश्चित करेगा, जिससे आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन फ्लाइट ऑपरेशंस की ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी।

स्काईएयर के सीईओ अंकित कुमार ने कहा कि स्काई यूटीएम भारत की एकमात्र स्वदेशी अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमारे हवाई क्षेत्र में ड्रोन के संचालन के तरीके में एक व्यापक बदलाव लाएगी। अपनी एडवांस्ड क्षमताओं और रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ, स्काई यूटीएम नेविगेशन, रिस्क एसेसमेंट को बढ़ाएगा और इसके साथ ही सभी ड्रोन ऑपरेटरों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ यह साझेदारी एक मजबूत और सुरक्षित ड्रोन इकोसिस्टम विकसित करने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है।

स्काई यूटीएम सिस्टम की तैनाती से हिमाचल प्रदेश में अनमैन्ड एरियल ऑपरेशंस की सुरक्षा और दक्षता में बहुत योगदान मिलेगा। क्लाउड-बेस्ड यूटीएम प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स से जुड़ता है और कम्युनिकेट करता है, जिससे सुरक्षित एयरस्पेस बनाने के लिए ड्रोन ट्रैफिक की ट्रैकिंग और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है। यह ड्रोन एयरस्पेस, रियल टाइम यूएवी मूवमेंट्स और वेरिफाइड पाथ्स का एक व्यापक व्यू प्रदान करता है। पहले से ही समर्थित 1000 से अधिक सफल ड्रोन उड़ानों के साथ, यूटीएम सिस्टम ड्रोन ऑपरेटरों के लिए बेहतर नेविगेशन, रिस्क एसेसमेंट और एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रदान करती है।

यूटीएम सिस्टम ड्रोन मूवमेंट्स पर नज़र रखने और भविष्यवाणी करने के लिए रियल टाइम, लो-लेटेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश करके ड्रोन ऑपरेटरों और आम जनता को कई तरह के लाभ प्रदान करेगी। यह ड्रोन फ्लाइट्स के 255 से अधिक मापदंडों को पकड़ता है और अपने ''ब्लैकबॉक्स'' में प्रत्येक उड़ान का एक सिस्टेमेटिक विवरण प्रदान करता है। इसके अलावा, यूटीएम प्रणाली हेलीकॉप्टर और विमानों जैसे मैन्ड एविएशन के साथ इंटीग्रेट होती है, जो एक अच्छी तरह से मैनेज्ड और कोऑर्डिनेटेड एयरस्पेस सुनिश्चित करती है।

स्काई यूटीएम सिस्टम डिलीवरी सर्विसेज, एग्रीकल्चर और निगरानी सहित विभिन्न ड्रोन एप्लीकेशंस का सपोर्ट करती है। मनोरंजक और प्रोफेशनल दोनों तरह की सभी ड्रोन मूवमेंट्स का सपोर्ट किया जाता है, जिससे पायलटों को यूटीएम प्लेटफ र्म के अधिकत उपयोग के लिए मैप्स को रजिस्टर्ड करने और उपयोग करने और प्रचलित नियमों के साथ अधिक अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

यूटीएम सिस्टम के सफल संचालन और उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्काईएयर यूटीएम सिस्टम के उपयोग और फायदों पर ड्रोन ऑपरेटरों और अधिकारियों सहित स्थानीय हितधारकों को शिक्षित करने के लिए वर्कशॉप्स आयोजित करेगा। ये वर्कशॉप्स प्लेटफॉर्म पर व्यवहारिक प्रशिक्षण और अपडेट प्रदान करेंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी हितधारक यूटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर काम करने के लिए आवश्यक नॉलेज और स्किल से लैस हैं।

हिमाचल प्रदेश में यूटीएम सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। पहले फेज में सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ड्रोन का इंटीग्रेशन, पायलट ट्रेनिंग और शिमला जिले में निजी ड्रोन के लिए ओपन रजिस्ट्रेशन शामिल है। फेज 2 में इसका व्यापक विस्तार शामिल है, जिनमें एयरपोर्ट्स और हेलीपैड से अनमैन्ड ट्रैफिक को यूटीएम के साथ इंटीग्रेट किया गया है। फेज 3 प्राथमिकता और विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर राज्य के बाकी जिलों में यूटीएम सिस्टम को प्रभावी तौर पर लागू करने पर केंद्रित है। यह पूरे राज्य में यूटीएम सिस्टम की व्यवस्थित और अच्छी तरह से तैनाती सुनिश्चित करता है।

हिमाचल प्रदेश में यूटीएम सिस्टम की तैनाती से राज्य पर महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ड्रोन द्वारा आसान एरियल ट्रेड रूट्स से हेल्थकेयर सप्लाई, कृषि उत्पादों, ग्रॉसरी और इमरजेंसी के हालात के दौरान डिलीवरी मैनेजमेंट सहित विभिन्न इंडस्ट्रीज के विकास में योगदान देंगे। विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन को व्यापक रूप से अपनाने से नए अवसर पैदा होंगे, दक्षता बढ़ेगी और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

स्काईएयर और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच यह सहयोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रोन इंडस्ट्री में तकनीकी प्रगति और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स के व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुरूप है। जैसे-जैसे ड्रोन इंडस्ट्री में सुरक्षा और निगरानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, यूटीएम सिस्टम को अपनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में यूटीएम सिस्टम का सफल संचालन इसके राष्ट्रव्यापी अपनाने, सुरक्षा, निगरानी और कुशल ट्रैफिक मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा।

विद्यार्थियों के लिए स्कूल अवधि के बाद भी खुले रहेंगे खेल मैदान

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सरकार ने सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के खेल मैदान शिक्षण अवधि के उपरान्त भी खुले रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी दैनिक शिक्षण अवधि के बाद भी खेल परिसर का उपयोग खेलकूद गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है और उनके डिजिटल और भौतिक जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवा शारीरिक गतिविधियों के बजाय अत्याधिक मोबाइल उपयोग में संलिप्त रहते हैं जिसके कारण युवाओं में अवसाद जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में युवा ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में विद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा शिक्षण संस्थानों के समय के बाद खेल परिसर का उपयोग करने की मनाही होती है। सरकार के इस कदम से युवाओं का खेल के प्रति रूझान बढ़ेगा और उन्हें नशीले पदार्थों के खतरों से भी बचाया जा सकेगा।

सेब सीजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही सरकार:बागवानी मंत्री

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आगामी सेब सीजन की तैयारियों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सेब राज्य की आर्थिकी का मुख्य स्रोत है तथा प्रदेश सरकार इस सेब सीजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

जगत सिंह नेगी ने सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बागवानी, कृषि, लोक निर्माण तथा पुलिस विभाग को सभी पहलुओं के मद्देनजर आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बागवान व किसान हितैषी सरकार ने सदैव बागवानों के हित में निर्णय लिए हैं तथा भविष्य में भी बागवानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

बागवानी मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सेब मंडियों में पार्किंग, पेयजल, शौचालय, बिजली तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि सेब सीजन से संबंधित बागवानों, आढ़तियों तथा अन्य हितधारकों को लाभ मिल सके। उन्होंने यातायात नियंत्रण पर बल देते हुए कहा कि सेब सीजन के लिए उपयोग में लायी जाने वाली सभी सड़कों की मरम्मत तथा सेब मंडियों में वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने संबंधित उपायुक्तों को जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना तथा उचित प्रबन्धन के निर्देश भी दिए। बाहरी वाहनों में जीपीएस की अनिवार्यता पर भी बल दिया गया ताकि चोरी इत्यादि मामलों में समय रहते कारवाई की जा सके। विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों तथा स्वचालित स्पीडोमीटर की सहायता से भी यातायात तथा कानून व्यवस्था पर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग को आवश्यक बल तैनात करने के भी निर्देश दिए।

बैठक के दौरान पैकेजिंग सामग्री की व्यवस्था तथा समायोचित आपूर्ति और कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम 2005 के अनुसार फल की नीलामी के उपरान्त वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए गए।

बागवानी आढ़तियों का पंजीकरण तथा उन्हें समय पर लाइसेंस व पहचान-पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त बागवानों को समय पर उनके उत्पाद की बिक्री के भुगतान की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त मण्डी मध्यस्थता योजना पर भी चर्चा की गयी।

इस अवसर पर सचिव बागवानी अमिताभ अवस्थी, निदेशक बागवानी संदीप कदम, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के प्रबंध निदेशक सुदेश मोक्टा, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक हेमिस नेगी, उप-मंडलाधिकारी कल्पा शंशाक गुप्ता, पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी, उप-पुलिस अधीक्षक सोलन भीष्म ठाकुर, हिमफेड के प्रबंध निदेशक ज्ञान सागर नेगी, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग एस.पी. जगोता, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जीत सिंह ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक में उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग व पुलिस अधीक्षक कुल्लू साक्षी वर्मा कार्तिकेयन तथा उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी व पुलिस अधीक्षक मंडी सौम्या सांबशिवन ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

बागवानों की समस्याएं सुलझाए,नही तो करेंगे बड़ा आंदोलन:चेतन बरागटा

शिमला/शैल। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा सेब की पेटी का वजन 24 किलो निर्धारित करने को लेकर बागवानो में आक्रोश के साथ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। समय रहते अगर इसका समाधान न हुआ तो इस विषय को लेकर किसानों बागवानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भाजपा नेता चेतन बरागटा ने कहा कि वर्तमान में बागवानों को अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही है जिन समस्याओं को वो सूचीबद्ध प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे। 24 किलोग्राम पेटी पर 22 किलोग्राम का पैसा आज की व्यवस्था के अनुरूप बागवानों को मिल रहा है। लेकिन बागवानों को ये बात हजम नही हो रही है। 2 किलो की कटौती किस फार्मूले के तहत की जा रही है सरकार को इस बारे विस्तार से बागवानों को बताना चाहिए।

चेतन बरागटा ने कहा कि सरकार द्वारा बिना ग्राउंड वर्क, बिना तथ्यों की जानकारी जुटाए,बिना किसी चर्चा के इस तरह के निर्णय बागवानों के लिए नुकसानदायक हो रहे है। उन्होंने कहा कि सरकार को बागवान, आढती और व्यापारी के सुझाव के अनुरूप ही इस विषय पर सकारात्मक फ़ैसला करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिस तरह की अव्यवस्था वर्तमान समय में मंडियो में नज़र आ रही है उससे तो लगता है कि यहां के आढ़ती व व्यापारी भी बाहरी मंडियों की ओर पलायन कर सकते हैं। जिस कारण प्रदेश को रेवेन्यू का नुकसान भी झेलना पड़ेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जब तक यूनिवर्सल कार्टन नही आता बागवानों को अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता दी जाए।

चेतन बरागटा ने कहा कि जिला शिमला से प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्रियों में से एक भी नेता बागवानों की समस्याओं के बारे में कोई रुचि नही दिखा रहा। ऐसा क्या कारण है कि सेब बाहुल्य क्षेत्र से प्रदेश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों ने 24 किलो सेब की पेटी विषय पर चुप्पी साधी हुई है। जबकि उन्हें बागवानों की भावना के मध्यनज़र इस विषय पर प्रदेश सरकार को सकारात्मक फ़ीडबैक देना चाहिए था। उन्होंने कहा जो कॉंग्रेस नेता विपक्ष में रहते बागवानों के हितैषी बने हुए थे वो सब आज उनकी सरकार होते हुए क्यों गायब हो गए है। इन सभी नेताओं के आचरण से प्रतित होता है कि इनका बागवानों से कोई सरोकार नहीं है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की कथनी करनी पर उठने लगे सवाल

शिमला/शैल। धर्मशाला के योल बाजार निवासी एक अनूप दत्ता ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ईमेल भेजकर भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत अवैध तरीके से दी गयी एक जमीन खरीद की अनुमति को रद्द किये जाने और संबद्ध अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई करने का आग्रह किया है। आरोप लगाया गया है कि एक गैर हिमाचली गैर कृषि को 105 एकड़ चाय बागान कृषि उद्देश्य के लिये खरीदने की अनुमति दी गयी है। जबकि नियमों के अनुसार चार एकड़ से अधिक की अनुमति के लिये आवेदन ही नहीं किया जा सकता है। अनुप दत्ता ने इस आश्य की शिकायत 17-06-23 और 29-06-23 मुख्य सचिव, प्रधान सचिव राजस्व, प्रधान सचिव विजिलैन्स और सचिव लॉ मंत्री को भेजी थी। लेकिन इसकी प्राप्ति की कोई सूचना न मिलने पर मुख्यमंत्री को यह शिकायत भेजी है। आठ पन्नों की इस शिकायत में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाये गये हैं। दत्ता के मुताबिक यह मामला 2002 में घटा था और तब से लेकर वह इसकी शिकायत करता रहा है और यह शिकायत करने की वजह से वह स्वयं भी उत्पीड़न का शिकार हुआ है। लेकिन वह इस लड़ाई से पीछे नहीं हटा है। स्मरणीय है कि लैण्ड सिलिंग अधिनियम में चाय बागानों को अधिकतम भूमि सीमा से बाहर रखा गया था। ऐसे बागानों को बेचने के लिये पहले उन्हें लैण्ड सिलिंग के दायरे में लाना होगा और उसके बाद ही उसे बेचने की अनुमति मिल सकती है। गैर कृषक और गैर हिमाचली को चार एकड़ से अधिक की अनुमति मिल ही नही सकती। इसलिये अनूप दत्ता की शिकायत में दम है। फिर हिमाचल सरकार में तो 31 अक्तूबर 1997 को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रिवार्ड स्कीम तक अधिसूचित कर रखी है और यह आज भी लागू है क्योंकि इसे वापस नहीं लिया गया है। ऐसे में जब इस तरह की कोई शिकायत आये और शिकायतकर्ता बीस वर्षों से लगातार उसको उठाता आया हो तब ऐसी शिकायत को जनता के सामने रखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर सरकारों की कथनी और करनी का सच सामने आना ही चाहिये। सुक्खू सरकार ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरैन्स घोषित कर रखी है लेकिन करनी अलग है। भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही लंबित चल रही है। इसलिए अनूप दत्ता की शिकायत को जनता के सामने यथास्थिति रखा जा रहा है।

क्या धारा 118 के तहत 105 एकड़ चाय बागान गैर हिमाचली को कृषि के लिये बेचा जा सकता है

यह है अनूप दत्ता की शिकायत

प्रार्थी अनूप दत्ता योल बाजार, तहसील धर्मषाला, जिला कांगड़ा मो0 94180 68095

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेष सरकार
षिमला

विषय :**For cancellation of permission U/s 118 of HP Land Tenancy and Reforms Act dated 06.08.2022 vide File No. Rev-B F (10)-248/2002 as it has been wrongly/illegally issued against the provisions law and without approval of competent authority with help of illegal documents.** और इस जमीनी घोटाले में किए गए अपराध को, भ्रष्टाचार करके छुपाने वाले अधिकारियों और इस जमीनी घोटाले के मामले पर 2002 से 2023 तक जानकारी के बाद कानूनन कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों और इस घोटाले में भ्रष्टाचार करके षामिल **IAS, IPS, HAS, HPS** अधिकारियों के विरूद्ध **PC Act** के तहत छानबीन करवाने हेतु प्रार्थना।

माननीय महोदय,

इस घोटाले में Mr. Sayad Mahsoom Ahmad के साथ षामिल 2002 के तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा को 6 जुलाई 2002 से इस बात की पूरी जानकारी है कि इस विवादित जमीन का सौदा प्रार्थी अनूप दत्ता और इस जमीन के असल मालिक के बीच 03.07.2002 को हुआ था और इसी आधार पर जमीन के असल मालिक ने इस जमीन को बेचने की परमिषन के लिए 6 जुलाई 2002 को स्वयं आकर उपायुक्त कांगड़ा के पास अप्लाई किया था और इसके बाद सरकारी फाईल के साथ छेड़खानी की गई। 6 जुलाई 2002 के बाद मेरे विरूद्ध सुनयोजित षड़यंत्र रचा गया जिसमें तत्कालीन एस. पी. कांगड़ा तथा पंजाब पुलिस के अधिकारी भी षामिल हैं क्योंकि जानकारी मिली है Mr. Sayad Mahsoom Ahmad के एक साथी Mr. Faiz Murtaz Ali के साथ तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा के ससुराल वालों की अच्छी दोस्ती थी जो जांच का विषय है।

इस जमीनी घोटाले का मुख्य मुद्दा मुख्य सचिव राजस्व तथा यह अन्य अधिकारी छुपा रहे हैं कि धारा 118 के निर्धारित नियमों के अनुसार Mr.Sayad Mahsoom Ahmad और उसका साथी Faiz Murtaza ali धारा 118 के निर्धारित नियमों के अनुसार चाय बागान को कृषि उद्देष्य से खरीदने की परमिष के लिए केवलमात्र 4 एकड़ से अधिक

(1)

जमीन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था जबकि इस घोटाले में 105 एकड़ जमीन की परमिषन तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा तथा अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से व धोखाधड़ी से तैयार की गई है। दस्तावेज प्रमाण देते हैं कि यह अधिकारी इस घोटाले में संलिप्त हैं इसलिए 2002 से जानबूझ कर इस मामले को मिथ्या कहानी बनाकर दिषाहीन किया जा रहा है। आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि Mr. Sayad Mahsoom Ahmad पंजाब की एक दरगाह से सम्बंध रखते हैं और 2002 से मिथ्या, अवैध G.P.A, S.P.A बनकर इस घोटाले में इन अधिकारियों के साथ षामिल हैं। ऐसा लगता है कि 2002 के तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा, एस.पी. कांगड़ा का इस व्यक्ति पर आर्षीवाद रहा है न जाने इसके पीछे क्या कारण है।

क) जमीन प्रार्थी ने इस जमीनी घोटाले के संदर्भ में 2002 से जून 2023 तक लगातार विरोध किया है व पत्राचार किया है इस संदर्भ में प्रार्थी ने दिनांक 17.06.2023 को तथा दिनांक 29.06.2023 को चीफ सैक्रेटरी, प्रिंसिपल सैक्रेटरी रैवन्यु, प्रिंसिपल सैक्रेटरी विजिलैंस, सैक्रेटरी लॉ से ई–मेल के द्वारा पत्राचार किया है परन्तु यह मामला पुनः दबाया जा रहा है तथा लॉ–विभाग को धारा 118 के इस मामले में, सरकारी अधिकारियों द्वारा, किए गए अपराधिक कार्यों, को छुपाकर, गुमराह करके दिषाहीन आफिस नोटिंग बनाई जा रही हैं ताकि नियमानुसार कानूनन कार्यवाही को रोका जा सके और हाईकोर्ट से बार–बार सच्चाई छुपाई जा सके क्योंकि इन अधिकारियों के दो IAS साथियों ने, जो उपायुक्त कांगड़ा थे, ने जानकारी के बाद, इस मामले में, 2002 और 2003 में झूठे षपथ पत्र और मिथ्या रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट को दी थी ताकि यह मामला दबाया जा सके। इसी आधार पर 2007 में भी माननीय होईकोर्ट को पुनः झूठा षपथ पत्र दिया गया।

ख) यह अधिकारी Mr.Sayad Mahsoom Ahmad व उसके साथियों के साथ मिलकर इसके बाद इन्होंने माननीय होईकोर्ट को, लॉ विभाग को, 2003 में माननीय मुख्यमंत्री को दी गई रिपोर्ट में धारा 118 के निर्धारित नियमों को कमजोर करके सत्य को छुपाकर मिथ्या रिपोर्टें दे रहे हैं और ऑफिस नोटिंग में जानकारी के बाद मिथ्या व अधूरी कहानियां लिख रहे हैं सत्य लिखने से बचाव कर रहे हैं।

1) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2002 से करवाई जा रही छानबीन के दौरान 06 अक्तूबर 2002 के बाद, तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा ने Mr.Sayad Mahsoom Ahmad के साथ मिलकर Mr.Faiz Murtaza Ali की झूठी पहचान सुप्रीम कोर्ट के जज़ क रूप में की तथा इस व्यक्ति को राइमंड कंपनी का मालिक बताकर आम जनता की आवाज़ को दबाया और मुख्यमंत्री द्वारा करवाई जा रही छानबीन को प्रभावित किया।

(2)

2) इसी दौरान 2005 में अदालत द्वारा करवाई जा रही छानबीन को प्रगभावित करने के लिए तथा पुलिस और प्रषासन पर दबाव डालने के लिए Hindustan Times News Paper में महामहिम रा"ट्रपति की गरिमा का प्रयोग करके इस गैर कानूनन परमिषन को वेध बताया गया। जिसका नुक्सान प्रार्थी पिछले कई सालों से झेल रहा है। इस मामले में महामहिम ने 2005 में एक छानबीन के आदेष दिए थे। महामहिम को भी Mr.Sayad Mahsoom Ahmad ने गुमराह किया है।

ग) 2002 से इस घोटाले के विरूद्ध और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर इन अधिकारियों ने मुझ पर IPC186, 182, 107/51 के लगातार कई केस बनाए हैं और कोर्ट में आते–जाते मुझ पर कई बार हमला करवाया गया है। एक बार पालमपुर कोर्ट में भी मुझपर हमला करवाया गया। एक बार तहसील पालमपुर में भी मुझ पर हमला करवाया गया। पालमपुर तहसील में जिस नायिब तहसीलदार ने मुझ पर हमला किया वह इन अधिकारियों का इस घोटाले में षामिल आरोपी है। मेरे षिकायत पत्रों को पुलिस बार–बार दबा रही है दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि इसके पीछे 2002 के तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा और एस पी कांगड़ा का हाथ है।

घ) मुख्य सचिव राजस्व को दस्तावेजों के आधार पर तथ प्रार्थी के षिकायत पत्रों के आधार पर इस बात की पूरी जानकारी है कि इस घोटाले से सम्बंधित इस सरकारी फाईल में दस्तावेजों की अदला–बदला की गई है और छोड़खानी की गई है इस जानकारी के बाद भी मुख्य सचिव राजस्व का एकतरफा रवैया आष्चर्यजनक है न जाने इसके पीछे उनका क्या व्यक्तिगत स्वार्थ है।

ड.) मुख्य सचिव राजस्व को इस बात की पूरी जानकारी है कि कौन से मण्डलायुक्त कांगड़ा ने कुछ साल पहले मुझे धमकी दी थी कि उसकी सिफारिष पर इस जमीन को सरकार ले लेगी इसलिए मुझे इन घोटालेवाज़ अधकारियों के विरूद्ध आवाज़ नहीं उठानी चाहिए।

च) 2002 के तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा तथा एस पी कांगड़ा इत्यादि के दबाव में हाईकोर्ट में दायर सी डब्लयु पी 903/2003, 1907/2007 तथा सी डब्लयु पी 720/2019 में हाईकोर्ट को गुमराह किया गया तथा सी डब्लयु पी 2470/2017 इ न अधिकारियों के दबाव में माननीय हाईकोर्ट के आदेष का पालन नहीं किया गया और इस बात को जानकारी के बाद सार्वजनिक नहीं किया गया कि यह विवादित परमिषन गैर कानूनन क्यों है। प्रार्थी ने इस बारे में दिनांक 17.06.2023 को इन सभी अधिकारियों को ई–मेल की है ताकि लॉ– विभाग और

(3)

हाईकोर्ट को सत्य बताया जाए परन्तु मुख्य सचिव राजस्व हाईकोर्ट को सत्य बताने में कतरा रहे हैं। इस तरह से मुख्य सचिव राजस्व माननीय हाईकोर्ट का अपमान कर रहे हैं।

निवेदन और अन्य जानकारी इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने दिनांक 17.02.2023 को मुख्य सचिव राजस्व को इस मामले में एक पत्र लिखा है जिसका डाक प्राप्ति संख्या 55815615, 55815618 है हथकंडे अपनाकर यह मामला दबाया गया।

1. प्रार्थी ने दिनांक 3 जुलाई 2002 को उपरोक्तलिखित जमीन का सौदा जमीन के असल मालिक महेन्द्र सिंह बनाम मोहन इन्द्र सिंह पुत्र महाराजा पटियाला भूपेन्द सिंह के साथ किया था। इन कुछ अधिकारियों ने नियमों के विरूद्ध, पद की गरिमा से धोखाधड़ी करके, भ्रष्टाचार करके धारा 118 के नियमों के साथ जानबूझ कर खिलवाड़ करके रचित षड़यंत्र के तहत यह विवादित परमिषन व्यक्तिगत कैपेस्टी में तैयार करवाई थी। इस परमिषन पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रोक लगाकर छानबीन करवाई थी इस छानबीन के दौरान प्रार्थी अनूप दत्ता ने 13 नवम्बर 2002 को तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा, तत्कालीन एस.डी.एम. पालमपुर,राजस्व विभाग सचिवालय षिमला को एक संयुक्त रूप से **Legal notice u/s 80 CPC** के तहत दिया था। इस नोटिस में इन अधिकारियों को यह जानकारी भी दी थी कि प्रार्थी इस जमीन का एकमात्र खरीददार है इस नोटिस की जानकारी के बाद भी यह अधिकारी फर्जी खरीददार फैज मुर्तजा अली की सहायता करते रहे न जाने इसके पीछे इनका क्या व्यक्तिगत स्वार्थ था। इस नोटिस की एक कॉपी सचिवालय के **Rev section – B** के पास है।

2. दिनांक 25 जुलाई 2002 को पंजाब पुलिस की वर्दी में कुछ लोगों ने प्रार्थी का अपहरण करके जबरन इस सौदे की कॉपी फिरौती के रूप में ली ताकि मैं इस सौदे का लाभ नहीं उठा सकूं।

3. दिनांक 26 जुलाई 2002 को कुछ संलिप्त अधिकारियों द्वारा फैज मुर्तजा अली दिल्ली निवासी के नाम उपरोक्तलिखित धारा 118 की परमिषन के अधूरे दस्तावेज धोखाधड़ी से एफ सी रैव कार्यालय षिमला भेजे गए। इस दिन तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा ने इस घोटाले में सहयोग करते हुए, गैर कानूनन षपथ पत्रों को मान्यता दी गई, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। 26 जुलाई 2002 को यह दस्तावेज भेजकर यह मामला जानबूझकर विवादित बनाया।

26 जुलाई 2002 को भेजे गए इन पत्रों के साथ फैज मुर्तजा अली का

(4)

Permanent Residence proof का प्रमाण पत्र भी नहीं लगाया गया है क्योंकि यह जानते थे कि फैज मुर्तजा अली के नाम 3 जुलाई 2002 से पिछली तारीख का **Permanent Residence proof** भी नहीं बन सकता था इस कारण इन्होंने भष्टाचार करते हुए, धोखाधड़ी व मिलिभगति की है और जानबूझ कर नियमों के विरूद्ध कार्य किया है।

4. दिनांक 6 अगस्त 2002 को उपरोक्तलिखित 105 एकड़ जमीन खरीदने की धारा 118 की गैर कानूनन परमिषन तैयार की गई जबकि धारा 118 में इस जमीन को खरीदने की अधिकतम सीमा 4 एकड़ है। उपायुक्त कांगड़ा का विषेष सचिव मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र संख्या 1372 भू0सु0षा0 दिनांक 20 जुलाई 2010 संलग्न नं0 1 है।

5. धारा 118 की इस परमिषन पत्र को तैयार करने के लिए तत्कालीन **competent authority** से **approval** नहीं ली गई तथा धोखाधड़ी से गैर कानूनन तरीके अपनाकर यह परमिषन जारी की गई क्योंकि अधिकारियों को और फैज मुर्तजा अली व उसके साथियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि धारा 118 की इस विवादित परमिषन की स्वीकृति का कानून में कोई प्रावधान नहीं है।

6. धारा 118 की उपरोक्तलिखित परमिषन के अनुसार फैज मुर्तजा अली व उसके साथियों और संलिप्त अधिकारियों का मक्सद जमीन खरीदना नहीं था। उनका मक्सद प्रार्थी का दिनांक 3 जुलाई 2002 के सौदे को नुक्सान पहुंचाना था इसलिए उन्होंने मिलीभगत करके 105 एकड़ जमीन की सेलडीड नहीं करवाई।

7. प्रार्थी द्वारा 2002 से लगातार इस परमिषन का विरोध किया गया। 2012 में प्रार्थी के पत्रों पर संज्ञान लेते हुए इस मामले की छानबीन की गई और लॉ विभाग से दिनांक 1 सितम्बर 2012 को इस पर रॉय ली गई जो ऑफिस नोटिंग **N/32 on-words** जो संलग्न नं0 2 है। इसमें लॉ विभाग ने माना है कि **The AD had neither requested for the permission u/s 118 of the HP Tenancy and Land reforms Act 1972, nor has the same been granted. However, surprisingly, the AD has conveyed the permission u/s 118 of the Act ibid without the approval of the Competent Authority. Since the approval of the Competent Authority was not obtained the approval conveyed to the Deputy Commissioner, Kangra u/s 118 of the Act ibid appears to be not legally tenable."**

(5)

संलग्न नं0 2 इस ऑफिस नोटिंग में साफ लिखा गया है कि **the competent Authority i.e. the then Revenue Minister and the Hon'ble Chief Minister for granting the permission.**

8. दिनांक 4 अक्तूबर 2012 को **Additional Chihef Secretary (Revenue) to the Government of H.P.** ने इस बारे में पत्र जारी किया। इन पत्रों पर 2012 से लगातार कार्यवाही चलती रही। यह पत्र संलग्न नं0 3 है। इस पत्र के जारी होने के बाद न्यायालय समाहर्ता जिला कांगड़ा स्थित धर्मषाला में फैज मुर्तजा अली व इसके परिवार को 2012 से लेकर 2019 तक अपना पक्ष रखने का पूरा मौका गया परन्तु वहां अपना कोई कानूनी पक्ष नहीं रख पाए।

9. 2019 को राजस्व विभाग षिमला कार्यालय द्वारा लॉ विभाग से पुनः रॉय ली गई तथा दिनांक 25 मई 2019 को लॉ विभाग ने पुनः रॉय दी है कि – **N.17-29/ -ante :- Examined in the Law Department. The AD has requested this department to tender and opinion on the limited issued as to whether the permission granted u/s 118/ of the H.P. Tenancy and Land Reforms Act 1972 in favour of a non-agriculturist to purchase land can be withdrawn or not.**

In this regard, it is stated that section 20 of the H.P. general Clauses Act, 1968 provide as under :-

"20 power to make to include power to add to, amend vary or rescind orders, rules of bye-laws, where by any H.P Act a power to issue notifications or make orders rules, 20-by-laws in conferred, then that power includes a power, exercisable in the like manner and subject to the like sanction and conditions (if any), to add to, amend, vary or rescind any notifications, orders, rules or bye-laws so issued or made."

From the aforesaid provision it is clear that an authority having power to issue notifications/order has also powers to rescind the same. However, while exercising such powers the principles of natural justice are also be kept in view. Thus, the AD may examine the matter accordingly.

This has the approval of the Legal Remembrancer." जो संलग्न नं0 4 हैं।

10. 2019 को उपरोक्तलिखित लॉ विभाग की रॉय के बाद दूसरे पक्ष को दूसरी बार पूरा मौका दिया गया और यह केस पुनः **In the Court of Dr. Nipun Jindal (I.A.S) District Collector Kangra at Dharamshala** में चला जिसका फैसला 14 जुलाई 2022 को आया है। जो संलग्न नं0 5 है।

11. उपरोक्तलिखित धारा 118 की इस विवादित परमिषन को रद्द करने के लिए उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मषाला ने व मण्डलायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मषाला ने दिनांक 13 जुलाई 2021 पत्र सख्या डव0 कमर/भू0सु0–2 (9) 15–1295 म ासफाारष का ह जा सलग्न नं0 6 है।

12. इस परमिषन को रद्द करने के लिए उपायुक्त कांगड़ा ने प्रधान सचिव (राजस्व) को पुनः सिफारिष की है। यह पत्र दिनांक 7 जनवरी 2023 को पत्र संख्या 40/भू0सु0षा0 – 118 –Vio पालमपुर संलग्न नं0 7 है।